आदेश दिनांक	आदेश मय लघु हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी **सिविल नियमित वाद सं. 58/2022 गोपालस्वरूप विरूद्ध रोहित**	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही का सार
08.12.2025	अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सि.प्र.सं. का एवं साथ ही धारा 5 परिसीमा अधिनियम का निस्तारण किया जा रहा है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी पक्ष की ओर से वादी गोपालस्वरूप की मृत्यु दिनांक 1.4.2024 को हो जाने के पश्चात उनके स्थान पर कायम मुकाम के रूप में उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा कर वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की प्रार्थना की गई है। अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष द्वारा आपत्ति की गई कि नियत समयावधि में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है , इसलिए अस्वीकार किया जावे। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी गोपालस्वरूप की मृत्यु दिनांक 1.4.2024 को हो चुकी है, जिसकी सूचना वादी के अधिवक्ता को अगस्त, 2024 में प्राप्त हुई थी, तब से लेकर वो वादी के पुत्र को संपर्क करने का प्रयास करता रहा और उनके वारिसान को मुकदमा की जानकारी नहीं थी, इसलिए देरी हुई है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए व प्रकरण के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु देरी को क्षमा करते हुए वादी के वारिसान श्रीमती सुनयना शर्मा पत्नी, विशाल शर्मा पुत्र एवं गौतम शर्मा पुत्र को 1/1 से 1/3 के रूप में रिकॉर्ड पर लिया जाता है। तदनुसार 14 दिन के अंदर संशोधित शीर्षक पेश करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली पेश होने से संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 22.12.2025 को पेश हो। **(रविन्द्र कुमार)**	